बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
★ सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- ★ सआदत हसब मिन्टो
★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- ★ राजबन्द पार्डियार
★ अबिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- ★ विनोद आनन्द

पत्रांक :...51..... दिनांक ..6-10-2013.....

दिनांक-06.10.2013 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक की कार्यवाहीः-

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार

1. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भवन निर्माण पर चर्चा की गयी। भवन निर्माण कार्य प्रारंभ है। इसकी ढलाई का कार्य इसी माह में होने है, सभी सदस्यों से ₹11000/- चंदा देने का अनुरोध किया गया। इस बिन्दु पर कई सदस्यों द्वारा यह विचार दिया गया ₹11000/- एक बार देने में दिक्कत होती है। सर्व सम्मति के यह निर्णय लिया गया कि अगर सदस्य चाहे तो सुविधानुसार एक बार की बजाय दो या अधिक बार में भी राशि उपलब्ध करा सकते है। नये भवन में 10 कमरे का निर्माण भी होना है इस संदर्भ में यह भी निर्णय हुआ है कि अगर कोई सदस्य अपने पूर्वजों की याद में या कोई संस्था कमरे का निर्माण का वहन करे तो सदस्य/सदस्या के साथ-साथ उनके पूर्वज की शिलापट उक्त कमरे में लगाया जायेगा। एक कमरे की लागत लगभग ₹1,00,000/- (एक लाख) है।

संघ भवन निर्माण में सहयोग करने हेतु एक कमिटि का गठन करने का निर्णय लिया गया जो निर्माण कार्य (भुगतान सहित) का देख-रेख करेंगे। इस कमिटि में
(i) श्री अरूण कुमार सिंह, आप्त सचिव, अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी, पटना
(ii) श्री नन्द लाल आर्य, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग एवं लघु जल संसाधन विभाग, पटना
(iii) श्री राजेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
(iv) श्री सोमेश बाहदुर माथुर, विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना
(v) श्री अनिल कुमार राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास विभाग, पटना
(vi) श्री कुमार रविन्द्र, वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर

रहेंगे जो अध्यक्ष/महासचिव के विचार विमर्श कर निर्माण कार्य को गति प्रदान करेंगे।

संघ भवन निर्माण करने हेतु श्री Hari shakar construction, Civil Contractor, Salimpur Ahra, Patna को संवेदक रखा गया है जिसके एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।

2. प्रोन्नति के संदर्भ में सदस्यों से विचार विमर्श हुआ, ऊपर के पद पर हुयी प्रोन्नति पर प्रसन्ता व्यक्त की गयी एवं इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। परन्तु मूल कोटि से उप सचिव स्तर में विगत 01.04.2010 के उपरानत आज की तिथि में कोई प्रोन्नति नहीं होने से संघ के सदस्यों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी है। सेवा पुनर्गठन दिनांक-01.04.2010 के उपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा का स्वीकृत बल 2878 से घटकर

851 हो गयी। वर्तमान में पदाधिकारियों की संख्या लगभग 1300 है। यानि लगभग 500 Surplus है ये सभी पाधिकारी मूल कोटि में है। इस कारण मूल कोटि में स्वीकृत पद 313 (176 S.D.C.+97 S.D.O+40 प्रशिक्षण) के विरूद्ध लगभग 800 सौ पदाधिकारी कार्यरत है। 36वी, 37वी, 38वी, 39वी, 40वी, 41वी एवं 42वी बैच के पदाधिकारी का सेवा अवधि क्रमशः 21, 20, 18, 17,16,14,13 वर्ष हो चुकी है। जिन्हें आज तक एक भी प्रोन्नति नहीं हुयी है। जबकि संयुक्त सचिव के 58 एवं विशेष सचिव के 05 पद यानि कुल 63 पद रिक्त है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अलावे बिहार में कोई सेवा संवर्ग ऐसा नही है, जिनको इतना वर्षों से कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।

सेवा संवर्ग पुनर्गठन में प्रोन्नति हेतु कालवाधि इस प्रकार हैः-

1.	बेसिक से उप सचिव	05 वर्ष
2.	उप सचिव से अपर समाहर्त्ता	05 वर्ष
3.	अपर समाहर्त्ता से संयुक्त सचिव	05 वर्ष
4.	संयुक्त सचिव से अपर सचिव	02 वर्ष
5.	अपर सचिव से विशेष सचिव	01 वर्ष
		18 वर्ष

यानि 18 वर्ष पर विशेष सचिव परन्तु 21 वर्ष से 13 वर्ष पुरा होने पर भी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी वगैर कोई प्रोन्नति पाये मूल कोटि में है।

संघ का सुझाव है कि सेवा पुनर्गठन की कंडिका 6 में वर्णित है कि **"बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों का संक्रमण अवधि में समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे"** के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कालवाधि में छूट प्रदान कर रिक्त पदो को कालवधि को सेवा अवधि मानकर प्रोन्नति दी जाया यह व्यवस्था वर्तमान कार्यरत बल 1300 से घटकर स्वीकृत बल 851 होने तक लागू रखा जाए।

दूसरा समाधान यह है कि BAS रूल का गठन कर गैर संवर्गीय पदों के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाया इसका विस्तृत प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को दिया जा रहा है।

3. वित्त विभाग संबंधी समस्या यथाः-

(i) PB-2 ग्रेड पे ₹5400/- से PB-3 ग्रेड पे ₹5400/- में परिवर्तन को प्रथम वित्तीय उन्न्यन माने जाने के संबंध में।

(ii) 04 वर्ष की सेवा एवं सम्पुष्टी, जो बाद में हो PB-2 से PB-3 में परिवतर्ति वेतनमान में National लाभ नहीं देने के संदर्भ में।

(iii) 40वी, 41वी, 42वी बैच के पदाधिकारी को 10 वर्ष की सेवा पुरी होने पर भी रूपान्तरित प्रथम वित्तीय उन्नयन नहीं दिये जाने के संबंध में।

(iv) एक ही बैच के पदाधिकारी को विभिन्न तिथियों में सेवा सम्पुष्टि होने पर डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन रूल ऑफ गजेटेट ऑफिसर्स-1961 के विरूद्ध वेतनमान में अन्तर रखने के संबंध में।

(v) गुच्छन का लाभ नहीं दिये जाने के संदर्भ में।

(vi) 39वी बैच के पदाधिकारी को जनवरी-2008 में प्रथम वित्तीय उन्नयन देने के उपरान्त वेतन का लाभ दिसम्बर-2008 तक नहीं दिये जाने के संदर्भ में।

सरकार के प्रावधान के बावजूद उपरोक्त समस्या उत्पन्न किया जा रहा है। संघ के द्वारा विगत वर्षों से पत्र माध्यम से एवं प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधान सचिव, वित्त/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से वार्ता होने के उपरान्त भी

स्थिति यथावत रहने पर सदस्यों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि अगर सरकार के द्वारा निर्गत संकल्प/प्रावधान का भी अनुपालन वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा तो संघ को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना चाहिए।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संघ की तरफ से महासचिव के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर की जाय। जिसके लिए संघ का एक खाता पी.एन.बी. बोरिंग रोड में खोला जाय एवं जिसका निकासी महासचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाए। सभी सदस्यों को इस कार्य हेतु 1000 सहायोग देने का अनुरोध किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये जाने हेतु विधि कोषांग के सभी पदाधिकारी से अग्रतर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। जो निम्न प्रकार है:-

(i) श्री राधा मोहन प्रसाद, अपर नगर आयुक्त, पटना
(ii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उप सचिव, वित्त विभाग, पटना।
(iii) श्री धीरेन्द्र कुमार झा, गंगा बाढ़ परियोजना, पटना।
(iv) श्री मृणायक दास, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, विधि एवं योजना एवं विकास विभाग, पटना
(v) श्री अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना
(vi) श्री गगन, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पटना
(vii) श्री राजीव कुमार, जीविका, पटना ।

4. बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की Wife Association का गठन किये जाने संबंधी जानकारी सभी सदस्यों को दी गयी। इस हेतु श्रीमती नीलम चौधरी, उप सचिव, लोकायुक्त, पटना से दूरभाष संख्या-9431038447 पर सम्पर्क करने का निर्देश दिया गया।

5. जिला इकाई पूर्णियाँ से प्राप्त बैठक की कार्यवाही के अनुसार दो अंचलों वायसी एवं रूपौली में क्रमशः श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज एवं श्री राज कुमार प्रसाद को अंचलाधिकारी के पद पर जिला पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा पदस्थापन किये जाने के बिन्दु पर महासचिव द्वारा बताया गया कि इस पद के मुक्त करने हेतु जिला पदाधिकारी को निदेश देने का अनुरोध प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/माननीय मंत्री, राजस्व विभाग से किया गया है।

6. श्री विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता सीवान के द्वारा प्राप्त पत्र पर विचार किया गया उनके विरूद्ध दिनांक-23.06.2008 को विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। विभागीय कार्रवाई से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2178 दिनांक- 28.02.07 के अनुसार विभागीय कार्रवाई 1 वर्ष में पूरी की जानी है। निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन से नियमानुसार विभागीय कार्रवाई ससमय समाप्त करने का अनुरोध किया जाय।

7. कार्यपालिका नियमावली तहत उप सचिव एवं अपर समाहर्त्ता स्तर में प्रोन्नति हेतु Cabinet में जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु विभाग द्वारा Cabinet में जाया जाता है जिससे समय की बर्बादी होती है। अतः सामान्य प्रशासन से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि कार्यपालिक नियमावली के तहत कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय।

8. सदस्यों द्वारा यह मामला प्रकाश में लाया गया कि कई जगहों पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के पद पर अनुमंडल पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है। इस संदर्भ में वरीयतानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वरीय उप समाहर्त्ता व अन्य गैर सम्वर्गीय पदों पर पदस्थापन करने का अनुरोध सामान्य प्रशासन विभाग से किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. सदस्यों द्वारा यह बाताया गया कि Mutation के मामले में प्राप्त परिवाद पर पदाधिकारी पर निगरानी विभाग या सामान्य थानों द्वारा प्राथमिकी कर दी जाती है। चूकि Mutation, mutation appeal, mutation revision, quasi Judicial मामला है Mutation के विरूद्ध Appeal किये जाने का प्रावधान है तथा Appeal आदेश के विरूद्ध revision में जाने का प्रावधान है तो परिवादी को नियम के आलोक में Appeal/revision दायर करने का निदेश दिया जाना चाहिए न कि प्राथमिकी की जानी चाहिए इससे एक ओर सरकार के प्रावधान का उल्लंघन होता है दूसरी ओर प्राथमिकी दर्ज करने पर पदाधिकारी के साथ-साथ विभाग को भी परेशानी होता है तथा समय की भी बर्बादी होती हैं विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस संदर्भ में संबंधित विभाग से पत्राचार की जाय।

10. सदस्यों को यह जानकारी दी गई मो० मुस्तकीम 48-52 वी बैच के पदाधिकारी जिनकी मृत्यु दिनांक-25.04.13 को हुई के परिवार को सहयोग हेतु जिला इकाई, पटना से ₹80,000/- जिला इकाई, भभुआ से ₹51,000/-, जिला इकाई सुपौल से ₹40,000/- जिला इकाई, भोजपुर से ₹25000/-, जिला इकाई, पूर्णियाँ से ₹20,000/- एवं सचिवालय में पदस्थापित पदाधिकारी से ₹34500/- प्राप्त राशि कुल ₹2.50 लाख का चेक मो० मुस्तकीम की पत्नी को दिनांक-03.10.2013 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

11. श्री युगल किशोर सिंह, 37वी बैच के पदाधिकारी को बीमारी के कारण से इलाज हेतु संघ के द्वारा ₹50000 उनके परिवार को दिया गया का अनुमोदन किया गया। श्री सिंह की देहान्त दिनांक-08.07.13 को हो जाने पर शोक प्रगट करते हुए 02 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु श्रदांजली अर्पित की गयी।

अध्यक्ष द्वारा धन्यावाद ज्ञापन के बाद सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक- 51 दिनांक- 6-10-2013

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

ज्ञापांक- 51 दिनांक- 6-10-2013

प्रतिलिपिः- केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/ सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव